

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 118 / 2025

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़



:-बनाम:-

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कृष्ण कुमार (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्स:-पंजाब सुपर स्टोर, वार्ड नं. 05, संगरिया रोड़, चक ज्वाला सिंह वाला,
हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासी:-साधु सिंह मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
वनित चोपड़ा पुत्र विरेन्द्र चोपड़ा (निर्माता फर्म)
मैसर्स:-विचित्रा फूड एण्ड बैवरेज, नजदीक छाबड़ा बरतन भण्डार,
फाजिल्का-श्रीगंगानगर बाईपास, ढाणी मसीद, अबोहर, पंजाब।
निवासी:-मकान नं. 859, गली नं. 01 सी, नजदीक पोस्ट ऑफिस, फाजिल्का, अबोहर, पंजाब।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं।

—:निर्णय:-

दिनांक :-21.11.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 29.04.2025 को समय दोपहर 12.40 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-पंजाब सुपर स्टोर, वार्ड नं. 05, संगरिया रोड़, चक ज्वाला सिंह वाला, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कृष्ण कुमार (मालिक एवं विक्रेता) निवासी-साधु सिंह मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते अलमारी में रखे खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) लगभग 50 कार्टून में (24 पीस X 250 मिलीलीटर) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) 16 पीस X 250 मिलीलीटर वजनी विक्रेता से नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) 16 पीस X 250 मिलीलीटर वजनी के खरीद मूल का 96/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/केश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) कुल 16 पीस X 250 एम.एल. वजनी पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कर चिपकाया ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-3955 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-3955 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला,

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 574 दिनांक 12.05.2025 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/7474-75 दिनांक 28.05.2025 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2025/9424 दिनांक 03.07.2025 द्वारा खाद्य निर्माता फर्म को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके प्रतिउत्तर में खाद्य निर्माता फर्म द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी-01 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी ने उक्त Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) अप्रार्थी-2 से खरीदा था। अप्रार्थी निर्माता नहीं है। अप्रार्थी-2 ने स्वयं पेश होकर कथन किया कि अप्रार्थी ने नया-नया काम प्रारंभ किया था। उक्त पदार्थ में अप्रार्थी ने कुछ भी नहीं मिलाया है। मुताबिक लैब रिपोर्ट भी उक्त पदार्थ मानकों पर खरा उतरा है। मात्र लैबलिंग संबंधी कुछ कमियां पाई गई है जिसके नियमों का अप्रार्थी को ज्ञान नहीं था। अप्रार्थी आगे से ध्यान रखेगा। अप्रार्थी ने कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Sweetened Carbonated Water (MR Boss Green Lemon Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थीयान पर संयुक्त रूप से 10,000/- (अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उममदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़